राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7 1(2)राछा/सान्याअवि/26/ई फाईल 01234 दिनांक–यथा ई–हस्ताक्षरित

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों (विद्यालय स्तरीय) में वर्ष 2026–27 के लिये दिनांक 27 मार्च 2026 से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इस संबंध में पूर्व की भांति विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू होगी। छात्रावास प्रवेश प्रकिया एवं अन्य सामान्य दिशा–निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट http://sje.rajasthan. gov.in पर उपलब्ध है।

आवेदन प्रक्रियाः–

1. विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र sso.rajasthan.gov.in पर नवीन प्रवेश पोर्टल SJMS के माध्यम से आमंत्रित किये जायेंगे।
2. नवीन विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम तीन छात्रावासों को विकल्प के रूप में ऑनलाईन चयन कर सकेगा।
3. पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थी जो इस वर्ष छात्रावास में प्रवेश लेना चाहते है, उन विद्यार्थियों का संबंधित छात्रावास अधीक्षक द्वारा गत वर्ष की अंकतालिका एवं प्रार्थना पत्र लेकर ऑनलाइन अपलोड कर विद्यार्थी का नवीनीकरण किया जावेगा।

प्रवेश हेतु पात्रताः–

1. राजस्थान के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए योजना लागू होगी।
2. किसी भी राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में किसी भी पिछड़ी जाति (अनुजाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/मिरासी भिश्ति वर्ग) के विद्यार्थी, जो छात्रावास/विद्यालय के 5 किमी के परिधि के भीतर रहते हों, अर्थात जिसके माता–पिता या संरक्षक 5 किमी की परिधि के भीतर रहते हों, छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।
3. विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिये कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र–छात्रा को नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
4. विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर महाविद्यालय स्तरीय छात्राओं को प्राथमिकता दी जावेगी इसके पश्चात भी स्थान रिक्त रहने पर JEE, NEET, CLAT, RAS, IAS प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को सम्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा।

5. छात्र–छात्रा का चरित्र प्रमाण–पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।
6. छात्रावास में प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता संबंधित वर्ग के बी.पी.एल. परिवार के छात्र–छात्रा को दी जायेगी।
7. प्रवेश हेतु गत कक्षा में 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही छात्रावास में प्रवेश दिया जावेगा।
4. छात्र–छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये से अधिक होने पर प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। जिन छात्र–छात्राओं के माता–पिता राज्य सरकार के कर्मचारी है एवं पे लेवल–11 तक (अधिकतम 8.00 लाख रुपये वार्षिक) वेतन प्राप्त कर रहे है, विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज– ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन पत्र जन–आधार कार्ड के माध्यम से लिये जावेगा। जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक की सूचना को प्रमाणिक माना जायेगा। आवेदन पत्र हेतु वांछित दस्तावेज यथा आधार विवरण, बैंक विवरण, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय का स्व घोषणा पत्र/आय विवरण (यदि आय विवरण जनआधार में अपडेट नहीं है तो), विशेष श्रेणी अन्तर्गत पिता/माता–पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन का अधिकृत प्रमाण पत्र सहित विवरण, बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्त्योदय आदि का विवरण जनाधार/राज ई वोल्ट/डिजि लॉकर अथवा दस्तावेज जारीकर्ता एजेन्सी द्वारा संधारित वेब सर्विस से प्राप्त कर स्वतः सत्यापित होंगे। (इसके लिए विद्यार्थी को पृथक से किसी प्रकार का दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। माता और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल अनाथ बालक/बालिका के लिये), पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिये), पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा आवेदकों के लिये) ।

प्रवेश हेतु आवेदन करने का अन्तिम तिथिः– 31 मई 2026 नियत है।
छात्रावासों में प्रवेश हेतु वरीयता क्रमांक इस प्रकार रहेंगे :–

1– पूर्व से आवासरत छात्र–छात्रा, 2– कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ/विधवा के पुत्र–पुत्री, 3– अनाथ छात्र–छात्रा, 4– विधवा/परित्यक्ता स्वयं 5– विशेष योग्यजन स्वयं, 6– विधवा/ परित्यक्ता के पुत्र/पुत्री छात्र–छात्रा, 7– विशेष योग्यजन के परिवार के बच्चे, 8– बी.पी.एल. परिवार के छात्र–छात्रा तथा 9– वार्षिक आय सीमा 8.00 लाख रूपये वाले परिवार एवं लेवल–11 (अधिकतम 8.00 लाख रुपये वार्षिक) वेतनभोगी राज्य सरकार के कर्मचारी के पुत्र–पुत्री।

विशेष विवरण :– 40 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक वाले बालक–बालिकाओं को गत वर्ष के प्राप्तांको की अवरोही वरीयता अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु नियत वरीयता अनुक्रम विभागीय आदेश क्रमांक 29426 दिनांक 07-05-2015 के अनुसार होगी, जिसका पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाईट http:// sje.rajasthan. gov.in पर देखा जा सकेगा।

छात्रावासों में शत् प्रतिशत प्रवेश हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

1- विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिलाधिकारी स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करवायेंगे।

2- समस्त जिलाधिकारी जिले के स्थानीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यो से छात्रावास में प्रवेश के लिये कार्यवाही कराने हेतु सम्पर्क स्थापित करेंगे तथा इस प्रायोजनार्थ स्थानीय सामाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस नोट एवं समाचार प्रकाशित करवायेंगे।

3- समस्त जिलाधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों/प्रशासनिक अधिकारियों/ सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी इस संबंध में सहयोग लेगें।

4- विभागीय विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में विद्यार्थियों के प्रवेश की मेरिट सूचियां निम्न तिथियों के अनुसार जारी की जायेंगी :-

- प्रथम सूची - दिनांक 10 अप्रैल, 2026
- द्वितीय सूची - दिनांक 23 अप्रैल, 2026
- तृतीय सूची - दिनांक 04 मई, 2026
- चतुर्थ सूची - दिनांक 11 मई, 2026

वरीयता सूचियां छात्रावास अधीक्षकों द्वारा जारी की जायेगी। वरीयता सूची में आये छात्र/ छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश हेतु आठ दिवस का समय दिया जायेगा। उक्तानुसार वरीयता सूचियां जारी करने बाद भी यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्रा छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक को कॉशनमनी जमा करवायेंगे। अधीक्षक कॉशनमनी जमा करने के पश्चात् ही छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे तथा कॉशनमनी की राशि व रसीद नम्बर ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करेंगे।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ7 1(2)राछा/सान्याअवि/26/ई फाईल 01234 दिनांक-यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1.विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref No.:
21207650
eSign DSC

2.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3.निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4.जिला कलक्टर, ...।
5.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
6.उप निदेशक, छात्रावास, मुख्यावास।
7.संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ... को भेजकर लेख है कि स्थानीय स्तर पर छात्रावास प्रवेश के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर विद्यालयी स्तरीय छात्रावासों में शत-प्रतिशत प्रवेश कराना सुनिश्चित करें।
8.संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को तत्काल विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें एवं छात्रावास प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान कराया जाना सुनिश्चित करावें।
10.समस्त छात्रावास अधीक्षक, ... ।
11.आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :26-03-2026 12:10:17

RajKaj Ref No.: 21207650
eSign DSC